देवघर समाहरणालय

(जिला भू अर्जन शाखा)

—: अधिसूचना :—

अधिसूचना संख्या 892 / भू अ०   दिनांक : 01/12/17

चूँकि झारखण्ड सरकार / समाहर्त्ता को यह प्रतीत होता है कि **ग्राम–काशीडीह, थाना–देवघर , थाना सं०– 634, अंचल–देवघर, जिला–देवघर** में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना **देवघर–मधुपुर पथ उन्नयन परियोजना** हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्त्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि **ग्राम– काशीडीह, , थाना– देवघर , थाना सं०–634, अंचल–देवघर, जिला–देवघर** में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश **0.73 एकड़** मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है–

क. स.	खाता सं.	सर्वे भूखंड सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उ०	द०	पू०	प०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	6	32	रैयती	बाड़ी–2	0.085	दुलार महतो पे0 स्व0 ईश्वर महतो वो रामदेव यादव वो कामदेव यादव वो रामलखन यादव पे0 स्व0 किशुन महतो वो भागीरथ यादव वो अर्जून यादव पे0 स्व0 मथुरा महतो वो विक्रम यादव वो प्रमोद यादव पे0 स्व0 जगदीश महतो वो अयोध्या महतो पे0 स्व0 भजन महतो। सा० बसमता।	चांद डीह, 633	दाग सं. 946	रास्ता	अर्जित दाग नं का अंश
2	6	39	रैयती	बाड़ी–2	0.09	तथैव				
3	6	37	रैयती	बाड़ी–2	0.11	तथैव				
4	38	33	रैयती	बाड़ी–2	0.09	बालेश्वर महतो पे0 स्व0 लालजी महतो वो गणेश महतो वो गोपाल महतो पे0 स्व0 केटी महतो वो राजेश यादव वो शैलेश यादव वो कमलेश यादव पे0 स्व0 काशी यादव वो कामेश्वर महतो वो परमेश्वर महतो पे0 स्व0 महराज महतो।				
5	38	40	रैयती	बाड़ी–2	0.10	तथैव				
6	38	38	रैयती	बाड़ी–2	0.075	तथैव				
7	12	36	रैयती	बाड़ी–2	0.09	नन्द किशोर झा पिता स्व0 हुवराज झा।				
8	11	410	रैयती	बाड़ी–2	0.09	तथैव				
				कुल रकवा–	**0.73**					

यह अधिसूचना भू–अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम–2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा–11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता–सह–समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्ट करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या

भू–वेधन–छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्त्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा कय/विकय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधीत इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत भू–अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियॉ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

29/11/17

समाहर्त्ता–सह–उपायुक्त,
देवघर।

ज्ञापांक 892 / भू अ0, देवघर, दिनांक 01/12/17

प्रतिलिपि : संबंधित भूधारियों को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, देवघर को आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि देवघर जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने का कृपा करें।

29/11/17

समाहर्त्ता–सह–उपायुक्त,
देवघर।